भारत COURT FEE INDIA दस रुपये TEN RUPEES
5 रु. भारत COURT INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

12

माननीय राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर

पुनरीक्षण याचिका संख्या/- R 2181 III/14 वर्ष 2014

1/- अबधेश सिह पुत्र श्री बशिष्टिनारायनसिह ठाकुर

2/- श्याम ढीमर पुत्र श्री हल्कू ढीमर

3/- नथू कुशवाहा तनय टुड्ढू काछी उर्फ टुडा

4/- रमल उर्फ रमला कुशवाहा तनय टुड्ढू काछी उर्फ टुडा

निवासीयान ग्राम बम्हौरी बराना तहसील लिधौरा

जिला टीकमगढ म0प्र0 ---------पुनरीक्षणकर्ता/आवेदगण

बनाम

बजीर खां मुसलमान तनय हुसैन खां मुसलमान निवासी

ग्राम बम्हौरी बराना तह0 लिधौरा जिला टीकमगढ

म0 प्र0 -------- अनावेदक

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सं0 के प्रावधानो के अधीन जो कि राजस्व निरीक्षक मण्डल लिधौरा जिला टीकमगढ म0प्र0 द्वारा उनके कार्यालय के प्रकरण क्रमांक 3/ए/12/2013-2014 मे पारित आदेश दिनांक 26-5-2014 के विरूद्ध ।

महोदय,

आवेदक पुनरीक्षणकर्तागण अपनी पुनरीक्षण याचिका मे सादर निम्न विनय करते है :-

1/- यह कि प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अनावेदक ने भूमि खसरा नम्बर 392/1/1 रकवा 1-334 हे0 स्थित ग्राम पठार की भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु राजस्व निरीक्षक मण्डल लिधौरा के समक्ष आवेदन पेश किया जिस मौके पर से अनावेदक की भूमि का सीमांकन किया गया और उक्त सीमांकन की कार्यवाही एवं प्रतिवेदन मे यह तथ्य प्रकट किये गये कि अनावेदक की उक्त भूमि का अंशभाग 0-160आर0 रामबगस की भूमि मे घर एवं अंशभाग 0-500 आर0 आवेदक एक की भूमि मे कुंआखोदकर एवं अंशभाग

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2181–तीन/14 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/01/18	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, लिधोरा तहसील लिधोरा जिला टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 3/ए/12/13–14 में पारित आदेश दिनांक 26.5.14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 392/1/1 रकबा 1.334 स्थित ग्राम पठार तहसील लिधोरा के सीमांकन हेतु राजस्व निरीक्षक, लिधोरा को आवेदन दिया गया । उक्त आवेदन पर कार्यवाही करते हुए राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 23.5.14 को सीमांकन किया जाकर पंचनामा बनाया गया एवं आलोच्य आदेश द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष न होने से प्रकरण समाप्त किया गया । राजस्व निरीक्षक इस आदेश से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किए जाने का निवेदन किया गया है । 4– अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्रकरण में नियत दिनांक 21.12.17 को 7 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया था परंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है । 5– अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकन से यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की जो कार्यवाही है वह विधिसम्मत प्रतीत नहीं होती है क्योंकि अभिलेख में जो सूचनापत्र	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

संलग्न है उसमें आवेदकगण एवं अनावेदक के अतिरिक्त अन्य 2 सरहदी काश्तकारों के नाम भी उल्लेख है परंतु उन्हें तथा आवेदक क्रमांक 1 अवधेश को सूचना दी गई है यह प्रमाणित नहीं है क्योंकि नाम के सामने उनके हस्ताक्षर नहीं है । प्रतिवेदन के साथ जो पंचनामा संलग्न है उसमें भी उनके उपस्थित रहने या हस्ताक्षर न करने आदि का कोई उल्लेख नहीं है । पंचनामा में आवेदक श्याम ढीमर के मौके पर उपस्थित रहने तथा हस्ताक्षर करने से इंकार करने की बात कही गई है परंतु पंचनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त लाइन पंचनामा तैयार किये जाने के बाद बढ़ाई गई है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में सीमांकन की जो कार्यवाही है वह विधिसम्मत नहीं है । अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश की पुश्टि नहीं की जा सकती ।

परिणामतः राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–5–14 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे उभयपक्षों एवं अन्य सरहदी का तकारों को विधिवत सूचना देकर प्रकरण में सीमांकन की कार्यवाही विधिवत करें ।

उभयपक्ष सूचित हों । अभिलेख वापिस किए जायें ।

प्रशा0 सदस्य